भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1565

गुरुवार, दिनांक 10 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>हरित ऊर्जा का उत्पादन</u>

1565. डॉ. थोल तिरुमावलवन: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में गैर-जीवाश्म आधारित नवीकरणीय हरित ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अगले पांच वर्षों के लिए देश में गैर-जीवाश्म आधारित नवीकरणीय हरित ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि को प्राप्त करने के लिए योजनाओं, प्रस्तावों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा की ऐसी प्रत्येक इकाई की उत्पादन लागत कितनी है; और

(घ) सस्ती ऊर्जा उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ताकि यह देश के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर नागरिक के लिए भी वहनीय हो?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क): विगत पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2016-17 से 2020-21 और वर्तमान वर्ष 2021-22 (दिसम्बर 2021 तक) की अवधि के दौरान गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	बिजली उत्पादन (बिलियन यूनिट में)
2016-17	241.84
2017-18	266.30
2018-19	299.46
2019-20	340.57
2020-21	340.57
2021-22 (दिसम्बर, 2021 तक)	289.73

(स्रोतः केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण)

(ख): माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कॉप-26 में की गई घोषणा के अनुसार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने हेतु एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति में अक्षय ऊर्जा और विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण एजेंसियों से प्रतिनिधि शामिल हैं तथा समिति में यथा आवश्यक अन्य हितधारकों को भी शामिल किया जा सकता है।

(ग) और (घ): सरकार ने देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें शामिल है:

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा करना,
- लगाओ और चलाओ (प्लग एंड प्ले) आधार पर अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना करना,
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12,000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं,
- अक्षय विद्युत की निकासी हेतु हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करना,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

इन सभी उपायों से विगत वर्षों के दौरान देश में अक्षय ऊर्जा टैरिफ में कमी लाने में सहायता मिली है। देश में सौर विद्युत के लिए 1.99 रु. प्रति किलोवाट घंटा और पवन विद्युत के लिए 2.43 रु. प्रति किलोवाट घंटा का रिकार्ड कम टैरिफ देखने में आया है, जो पारंपरिक स्रोतों के साथ नए संयंत्रों के लिए उत्पादित बिजली के टैरिफ के साथ काफी अनुकूल है।

*****